

तारीख
हुक्म

11/12/19

पवानली पेश हुई।

वादी व अधिवक्ता

को माथालाम संमम के दौरान कार-वाह
कर-कर कर आवजि लगाई गई। न
वादी स्वयं उपस्थित हुआ और न ही
वादी की ओर से वकील अता अदम
पैरवी अदम हाजरी में वाद खारीज
किया जाता है।

पवानली नम्बर से एक
कम लेकर हाजिर दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

